

दिनांक 04/08/2020 को मुख्य अभियन्ता स्तर-। (नियोजन) की अध्यक्षता में नवम् वृत्त लो.नि.वि. देहरादून की विभागीय समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

मुख्य अभियन्ता स्तर-। (नियोजन) की अध्यक्षता में दिनांक 04.08.2020 को पूर्वाह्न 11 बजे इस कार्यालय के बैठक कक्ष संख्या 305 में नवम् वृत्त देहरादून की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में निम्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे:

1. अयाज अहमद, मुख्य अभियन्ता स्तर-। (नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
2. इ. पी.एस. बृजवाल, वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर-।। विभागाध्यक्ष कार्यालय।
3. इ. बी.एन. चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता नवम् वृत्त देहरादून।
4. इ. के.एस. असवाल, अधिशासी अभियन्ता विभागाध्यक्ष कार्यालय।
5. इ. अजय काला, अधिशासी अभियन्ता विभागाध्यक्ष कार्यालय।
6. इ. पी.एस. नबियाल, अधिशासी अभियन्ता विभागाध्यक्ष कार्यालय।
7. इ. जे.एस. चौहान, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड देहरादून।
8. इ. राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड देहरादून।
9. इ. वी.डी. भट्ट, अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड चकराता।
10. इ. विपुल कुमार सैनी, अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड ऋषिकेश।
11. इ. डी.पी. सिंह, अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड सहिया।

उक्त बैठक में निर्धारित एजेंडा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा/विचार विमर्श की स्थिति इस प्रकार से है-

1. नवीनीकरण:- जिसमें वृत्तान्तगत स्वीकृत नवीनीकरण 148.21 कि.मी. के सापेक्ष भौतिक प्रगति 86.16 कि.मी. सतह लेपन तथा 56.00 कि.मी. क्रेक सीलिंग (Crack sealing) के सापेक्ष मात्र 22.00 कि.मी. होना अवगत कराया गया है। जिसमें अस्थाई खण्ड सहिया की प्रगति सबसे कम है। मैदानी क्षेत्र व अनुकूल मौसम होने के बावजूद भी अन्य खण्डों द्वारा नवीनीकरण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति धीमी होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोष व्यक्त किया गया। अवशेष स्वीकृत नवीनीकरण कार्य मौसम अनुकूल होने पर शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
2. पैच मरम्मत:- पैच मरम्मत कार्य में वृत्तान्तगत भौतिक प्रगति 92 प्रतिशत सूचित की गयी है। जिसमें अस्थाई खण्ड चकराता की प्रगति सबसे कम है। पैच मरम्मत कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता द्वारा वांछित धनराशि के सापेक्ष धनांतन कम होना अवगत कराया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवशेष धनावंटन की मांग के लिये अधीक्षण अभियन्ता को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

3. नाबार्ड:- नाबार्ड के अन्तर्गत विभिन्न फेजों में पूर्ण किये गये व पी0सी0आर0/पी0सी0सी0 शीघ्र शासन को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया है। सबसे अधिक Pendency वाले खण्ड का नाम अंकित कर स्पष्टीकृत कर किया जाय।
4. राज्य आपदा मोचन निधि (2020-21):- अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अपने दफ्तर 06 नं० आगणन, राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) मद कार्यालय को प्रेषित करना सूचित किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा मार्गों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण, मलबा सफाई के आगणन, जो कि ए.एफ. के निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हैं को यथाशीघ्र गठित कर इस को शीघ्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
5. माननीय मुख्यमंत्री घोषणा:- अधोहस्ताक्षरी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री घोषणा अन्तर्गत वृत्तान्तगत विधानसभावार स्वीकृत घोषणाओं के सापेक्ष अपूर्ण घोषणाओं पर चर्चा की गयी। माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत किसी विवाद या अन्य कारणों से काफी समय से लम्बित होने के कारण प्रारम्भ न किये जा सके हो उन घोषणाओं/कार्यों के निरस्तीकरण यथाशीघ्र इस कार्यालय को तथा शासन को प्रेषित किये जाने वाले घोषणाओं के आगणन शीघ्र शासन को प्रेषित करवाने हेतु निर्देशित किया गया।
अधीक्षण अभियन्ता द्वारा धर्मपुर विधानसभा के 02 घोषणाओं (परिवर्तन/निरस्तीकरण) प्रस्ताव अपने कार्यालय में प्रेषित होना अवगत करा है। जिन्हें शीघ्र प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को प्रेषित किया जाय।
6. न्यायिक अवस्थापना सुविधाओं के प्रकरण:- अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि इस कार्यालय द्वारा न्यायिक अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित विकास पोर्टल-2.00 हेतु श्री बृजवाल अधीक्षण अभियन्ता को नोडल नियुक्त किया गया है। न्याय विभाग के कार्यों से सम्बन्धित सूचनाओं की प्रविष्टि निर्माण देहरादून द्वारा सम्बन्धित पोर्टल अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह की जाय।
7. मसूरी पार्किंग निर्माण:- अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कार्य की भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत है। पर्यटन विभाग से अतिरिक्त धनराशि होने की दशा में इसे अक्टूबर 2020 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।
8. क्रोनिक स्लिप जोन उपचार- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड सहित

(3)

अवगत कराया गया कि कालसी-चकराता मोटर मार्ग के कि.मी. 9 जजरेड नामक स्थान पर क्रोनिक स्लिप जोन के उपचार हेतु कार्य सैण्डा में प्रस्तावित है।

9. नगर निगम क्षेत्रों में मार्गों की स्थिति में सुधार हेतु वांछित कार्य योजना प्रान्तीय खण्ड देहरादून द्वारा 03 कार्यों, निर्माण खण्ड देहरादून द्वारा 06 निर्माण खण्ड ऋषिकेश द्वारा 02 कार्यों के प्रस्ताव प्रस्तावित किये सम्बन्धित खण्डों के अधिशासी अभियन्ताओं को देहरादून रिंग रोड महत्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण के लिये Presentations करने हेतु निर्देशित किया गया।

10. अनुबन्धों का अन्तिमीकरण:— अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया है कार्य को पूर्ण हुए 06 माह से अधिक समय हो गया हो उन कार्यों अन्तिमीकरण प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें। अन्यथा इस प्रकार के प्रकरण पी0ए0सी0 पैरा में परिवर्तित होने की सम्भावना होती

11. रोड़ सेफ्टी के आगणन:— अधीक्षण अभियन्ता द्वारा वृत्तान्तर्गत 04 कार्यों के (जिसमें 03 आगणन प्रमुख अभियन्ता कार्यालय व 01 आगणन शासन) प्रेड अवगत कराया गया है।

12. केन्द्रीय सडक निधि:— अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अपने वृत्तान्तर्गत 9 कार्य में स्वीकृत होना अवगत कराया गया है। जिसमें से 06 कार्य प्रगति प शेष 03 कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:—

(क) थानों-भोगपुर मोटर रोड के कि.मी. 03 में विदालना नदी पर 240 लम्बाई में पी0ए0सी0 सेतु का निर्माण कार्य, लागत ₹ 1921.71 लाख में मोड़ (E.P.C mode) में कार्य होना है।

(ख) भोगपुर-रायसी मार्ग का Single Lane/Intermediate Lane से दो ले Shoulder का चौड़ीकरण कार्य का आगणन शासन की स्वीकृति हेतु 12.08.2020 तक प्रेषित किया जाय।

(ग) सेंट ज्यूड्स चौक पर सडक सुरक्षा हेतु रोड़ मार्किंग एवं साईनेज के सुधारीकरण का कार्य के अन्तर्गत 560 मी0 लम्बाई में बी0सी0 का कार्य प्रस्तावित है। मार्ग की शेष लम्बाई में गेल द्वारा गैस पाईप लाईन बिछा गया है। वर्तमान में लॉक डाउन के कारण गेल द्वारा कार्य प्रारम्भ न गया है। गैस पाईप लाईन बिछाने के पश्चात् अवशेष कार्य पूर्ण कर लिया अवशेष अन्य कार्य प्रगति पर है।

(4)

13. वित्तीय वर्ष 2019-20 में एस.डी.आर.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सम्पादन हेतु गठित अनुबन्धों के सापेक्ष दायित्व सृजित होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु लम्बित धनराशि का विवरण यथाशीघ्र बजट वर्ग को उपलब्ध करने हेतु निर्देशित किया गया।

14. पी.ए.सी. पैरा के अन्तर्गत देहरादून मसूरी मोटर मार्ग में परिवहन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर समुचित कार्यवाही कर कार्य को माह 10/2020 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कोर्ट केस हेतु अधीक्षण अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक खण्ड में इस हेतु अलग से रजिस्टर में सूचनाएं अंकित की जाय। जिसकी समय-समय पर खण्डवार समीक्षा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की जाए।

आश्वासन/याचिकाओं पर प्राथमिकता के आधार पर समयान्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा समीक्षा के उपरान्त कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण, गुणवत्ता परीक्षण, सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

पेगल- 691 / 388 फाता/का/2020

दि- 19/8/20 मुख्य अभियन्ता स्तर-। (नियोजन)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर (नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता नियोजन-।/।।/।।।/विधायी/विधि प्रकोष्ठ विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. प्राविधिक वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. वरिष्ठ/प्रशासनिक अधिकारी (नियोजन)-।/।।/।।।/विधायी/विधि प्रकोष्ठ वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता स्तर-। (नियोजन)
18-8-2020